56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमाक 73-दो/92 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-11-90 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 137/1981-82/अपील

.....

1- बैजनाथ (मृतक) वारिसान-
   १. महिला वैजन्तीबाई बेवा बैजनाथ
      निवासी- रिदौली तहसील-अटेर, जिला-भिण्ड
   २. महिला प्रेमादेवी पुत्री बैजनाथ, पत्नी रामकुमार मिश्रा
      निवासी- ग्राम खेड़ी तहसील अटेर, जिला-भिण्ड
२- रामविलास पुत्र सूरजपाल
३- बाबूराम (मृतक) वारिसान-
   १. रामभरोसे पुत्र बाबूराम
   २. रामरतन पुत्र बाबूराम
   ३. महिला सुखन्ती बेवा बाबूराम
      निवासीगण- ग्राम जमसारा तहसील अटेर
      जिला- भिण्ड (म.प्र.)

-----आवेदकगण

विरूद्ध

1- जनमेजय
2- रामचन्द्र
3- सुदामा
४- छोटे
५- राममूर्ति, पुत्रगण बद्रीप्रसाद
६- शिवदयाल पुत्र मथुरा प्रसाद
   निवासीगण- ग्राम जमसारा तहसील अटेर, जिला- भिण्ड

------अनावेदकगण

.....

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

{ आज दिनांक 5/4/18 को पारित }

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राज्स्व संहिता 1959 {जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा} की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-90 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जमसारा स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 894, 895, 931, 834 लगायत 0.939, 944 रकबा 17 बीघा 2 विस्वा एवं सर्वे क्रमांक 881 के रकबा 2 बीघा 12 विस्वा पर रामजस पुत्र पानसिंह भूमिस्वामी दर्ज था । भूमिस्वामी की मृत्यु होने के पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि का नामांतरण किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार अटेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जहॉ नायब तहसीलदार अटेर ने जांच उपरांत मृतक भूमिस्वामी के उत्तराधिकारी न पाये जाने पर दिनांक 21-09-73 से वादग्रस्त भूमि शासन में वेष्टिस करने का आदेश दिया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 26-10-74 से नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 21-01-73 निरस्त किया तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वसीयत एवं उत्तराधिकार प्रावधानों के अंतर्गत साक्ष्य ग्रहण कर विस्तृत विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले तथा जो भी वैध उत्तारधिकारी पाया जावे उस पक्ष का नामांतरण किया जावे । प्रकरण तहसील न्यायालय में पुन: प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार ने पुन: सभी पक्षों के तर्क सुने तथा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आदेश दिनांक 07-4-75 से अनावेदकगण को नामांतरण की पात्रता पायी । नायब तहसीलदार के आदेश

दिनांक 07-04-74 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष पृथक-पृथक से पुन: अपीलें प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22-09-75 से अपीलें निरस्त की तथा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 07-04-75 स्थिर रखा । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22-09-75 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा पृथक-पृथक अपीले अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । जहॉ अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 137/1981-82/अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-1990 से अपीले निरस्त की तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22-09-75 एवं नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 07-04-75 स्थिर रखा । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा हिन्दू उत्तराधिकारीं अधिनियम में बने नियमों के प्रकाश में अनावेदकगण को नामांतरण का पात्र माना है । तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण के साक्ष्य लिये एवं संहिता के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है। जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उचित पाते हुये स्थिर रखा है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त ने आवेदकगण के तर्कों के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका था और उसकी तस्दीक भी हो गई तो आवेदकगण तहसीलदारके समक्ष उक्त राजीनामा के आधार पर कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण ने इस न्यायालय में उक्त राजीनामे के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की जाना अनुचित प्रतीत होता है । आवेदकगण चाहे तो अपर आयुक्त के आदेश के परिपालन में विचारण न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

6/ दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त् की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-90 स्थिर रखा जाता है।

(एस.एस. अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर